रजिस्ट्री सं० डी० एल-33001/97 REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1997/कार्तिक 3, 1919
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1997/KARTIKA 3, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1997

सा०का०नि० 356.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पुलिस सेवा नियम, 1995 में,—

(1) नियम 2 में, खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(ढ) किसी ग्रेड के संबंध में "अनुमोदित सेवा" से उस ग्रेड में नियमित सेवा की ऐसी अवधि या आवधियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत अनुपस्थिति की ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं, जिसके दौरान उसने उस ग्रेड में यदि वह छुट्टी पर रह होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध ना रहा होता

तो उसने नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, निम्नलिखित वर्ष के जुलाई मास के प्रथम दिन से—

(क) आगामी वर्ष, जिसमें उस ग्रेड में सीधे नियुक्त अधिकारी की बाबत परीक्षा आयोजित की गई थी

(ख) जिसके लिए प्रोन्नति द्वारा उस ग्रेड में नियुक्ति किसी अधिकारी की बाबत नियमित आधार पर भर्ती की गई थी।"

(2) अनुसूची 3 में "नियमित सेवा" शब्दों के स्थान पर "अनुमोदित सेवा" शब्द रखे जायेंगे।

[फा.सं. 14012/3/96-यू.टी.एस.]
जे. श्रीवास्तव, उप सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम के राजपत्र में दिनांक 9-12-95 को सा.का.नि. 536 क्रमांक पर प्रकाशित किए गए थे।

regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year—

(a) followinig the year in which the examination was held in respect of an officer appointed directly to that grade;

(b) for which the recruitment was made on regular basis in respect of an officer appointed to that grade by promotion.";

(2) in Schedule III, for the words 'regular service', the words 'approved service' shall be substituted.

[F. No. 14012|3|96-UTS]
J. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 536, dated 9-12-95.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th October, 1997

G.S.R. 356.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service Rules, 1995.

(1) in Rule 2, after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :—

"(n) 'Approved Service' in relation to any grade means period or periods of regular service rendered in that grade; including period or periods of absence during which he could have held a post on

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1997

सा.का.नि. 357 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा नियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा नियम 1996 में—

(1) नियम 2 में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(ड) किसी ग्रेड के संबंध में "अनुमोदित सेवा से उस ग्रेड में नियमित सेवा की ऐसी अवधि या आवधियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत अनुपस्थित की ऐसी अवधि या आवधियां भी हैं, जिसके दौरान उसमें उस ग्रेड में यदि वह छुट्टी पर रहा होता

या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध न रहा होता तो उसने नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, निम्नलिखित वर्ष के जुलाई मास के प्रथम दिन से—

(क) आगामी वर्ष, जिसमें उस ग्रेड में सीधे नियुक्त अधिकारी की बाबत परीक्षा आयोजित की गई थी।

(ख) जिसके लिए प्रोन्नति द्वारा उस ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी की बाबत नियमित आधार पर भर्ती की गई थी

(2) अनसूची 2 में, "नियमित सेवा", शब्दों के स्थान पर "अनमोदित सेवा" शब्द रखे जाएंगे ।

(फा.सं. 14012/3/96-यू.टी.एस.)
जे. श्रीवास्तव, उप सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 1-4-95 को सा.का.नि. क्रमांक-151 पर और तदनन्तर संशोधित नियम 17-2-91 को.सा.का.नि. 81 क्रमांक पर प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 15th October, 1997

G.S.R. 357.—In exercise of the powers confered by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Civil Service Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Civil Service (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Civil Service Rules, 1996.

(1) in Rule 2, after clause (1), the following clause shall be inserted, namely :—

"(m) 'Approved Service' in relation to any grade means period or periods of regular service rendered in that grade; including period or periods of absence during which he could have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year—

(a) follownig the year in which the examination was held in respect of an officer appointed directly to that grade;

(b) for which the recruitment was made on regular basis in respect of an officer appointed to that grade by promotion.";

(2) in Schedule III, for the words 'regular service', the words 'approved service' shall be substituted.

[File No. 14012|3|96-UTS]
J. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 151, dated 1-4-95 and subsequently amended vide number G.S.R. 81 dated grade means period or periods of regular 17-2-96.

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1997

सा०का०नि० 358.—बड़ी इलायची श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है पैंतालीस दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा;

कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव देना चाहता है या आक्षेप करना चाहता है उसे केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय सरकार, आफिस काम्पलेक्स, न्यू बिल्डिंग नेवर IV—, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) को भेज सकता है ।

प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बड़ी इलायची श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 है ।

(2) ये बड़ी इलायची (अमोम सुबुलाटम रोजबर्ग) से लागू होंगे ;

(३) ये राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार साबुत बड़ी इलायची, बीज और/या बीज चूर्ण का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "श्रेणी अभिधान चिन्ह" से इन नियमों के नियम 5 के यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट एगमार्क लेबल या एगमार्क प्रतिकृति अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों की संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. श्रेणी अभिधान :—श्रेणी अभिधान उन श्रेणियों के नाम होंगे जो अनुसूची 2 से 4 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित साबुत बड़ी इलायची, बीज और/या बड़ी इलायची चूर्ण की क्वालिटी को उपदर्शित करते हैं ;

4. क्वालिटी की परिभाषा :—ऐसे श्रेणी अभिधान द्वारा उपदर्शित क्वालिटी अनुसूची 2 और 3 के स्तम्भ 2 से 10 और अनुसूची 4 के स्तम्भ 2 से 8 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित रूप में होगी ।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह :—(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह में अनुसूची 1(क) में विनिर्दिष्ट रूप मे एगमार्क लेबल होगा तथा उस पर उत्पाद का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और अनुसूची 1(क) में यथा उपवर्णित से मिलता हुआ एक डिजाइन होगा जिसमें "AGMRAK"/"एगमार्क" शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र और उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा, या

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 10 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी प्राधिकृत पैकर को एगमार्क लेबल के बदले अनुसूची 1 (ख) में विनिर्दिष्ट रूप में एगमार्क प्रतिकृति, जिसमें प्राधिकृत प्रमाणपत्र का संख्यांक सम्मिलित करते हुए, एक डिजाइन "AGMARK"/"एगमार्क" शब्द उत्पाद का नाम और श्रेणी अभिधान होगा, के उपयोग की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

6. पैक करने की रीति :— (1) साबुत बड़ी इलायची कैपस्यूल नए, साफ, मजबूत और सूखी लकड़ी की ऐसी पेटियों में पैक किए जाएंगे जिनमें जल सह्य पेपर/क्राफ्ट पेपर/पालीथिलीन का उपयुक्त अस्तर लगा हो या जूट के बने थैलों, पालीएथिलीन या पालीप्रोपिलीन से पटलित कपड़े में या उच्च घनत्व के पालीएथिलीन थैलों/पाउचों में पैक किया जाएगा ;

(2) इलायची बीज पालीथिलीन/जल सह्य पेपर के अस्तरयुक्त नए, साफ, मजबूत और सूखे कपड़े के थैलों, लकड़ी की पेटियों में या कांच, टिन प्लेटों, एल्यूमिनियम से बने आधानों मे या पटलित/धात्विक/बहुपरतीय खाद्य श्रेणी क्वालिटी प्लास्टिक सामग्री से बने पाउचों में पैक किया जाएगा;

(3) बड़ी इलायची चूर्ण टिन या कांच से बने साफ, मजबूत और सूखे आधानों में पटलित/बहिर्बोधित/बहुपरतीय खाद्य श्रेणी क्वालिटी प्लास्टिक सामग्री के पाउचों में पैक किया जाएगा;

(4) आधान साफ, मजबूत और नए होंगे तथा पूर्णत: या अंशत: किसी ऐसे विषैले या हानिकारक पदार्थ से बने नहीं होंगे जो अन्तर्वस्तु को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना दें ;

(5) आधान और पैकिंग सामग्री कीटग्रसन, कवक संदूषण, अवांछित या अप्रिय दुर्गन्ध और अन्तर्वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों से मुक्त होंगे;

(6) किसी आधान में पैक किए गए बड़ी इलायची कैपस्यूल, बीज और चूर्ण का शुद्ध भार 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम होगा और उसके पश्चात् यह समय-समय पर यथा संशोधित बाट और माप मानक (पैकेज की हुई वस्तु) नियम, 1977 के अनुसार 500 ग्राम के गुणकों में होगा;

(7) प्रत्येक आधान सुरक्षित रूप से बंद किया जाएगा और यथोचित रूप से सील किया जाएगा;

(8) उपयुक्त संख्या में उपभोक्ता पैकेट, जिनमें उसी श्रेणी अभिधान और उसी लाट/बैच की श्रेणीकृत सामग्री है, मास्टर आधान में, जैसे कि लकड़ी की पेटियां, थैले और कार्ड बोर्ड के डिब्बे पैक किए जा सकेंगे ।

7. चिन्हांकन की रीति :–(1) साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साबुत बड़ी इलायची/बीज या चूर्ण के प्रत्येक आधान पर मजबूती से श्रेणी अभिधान चिन्ह लगाया या मुद्रित किया जाएगा ।

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त लेबल पर और या पैकेट पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और अमिट रूप से अंकित की जाएंगी:—

(क) पैकर का नाम और पता;

(ख) पैकिंग का स्थान;

(ग) पैकिंग की तारीख, मास और वर्ष;

(घ) लाट/बैच संख्यांक

(ङ) शुद्ध भार;

(च) श्रेणी;

(छ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित, केवल स्थानीय बाजार के लिए)

(3) चिन्हांकन के लिए उपयोग में लाई गई स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जिससे उत्पाद संदूषित न हो,

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार पैकेज पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह अंकित कर सकेगा;

परन्तु यह तब जब कि वह उस क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न उपदर्शित न करे जो इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेज पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित है ।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए विशेष शर्तें :—

साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में किसी बात के होते हुए भी साबुत बड़ी इलायची, बीज और/या बड़ी इलायची चूर्ण के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र संदत्त नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) प्राधिकृत पैकर ने विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के अनुसार बड़ी इलायची कैपस्यूलों, बीजों और या बड़ी इलायची चूर्ण की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित या तो अर्हित रसायनज्ञ सहित अपनी प्रयोगशाला स्थापित न की हो या उसने इस प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित प्रयोगशाला के साथ कोई करार नहीं किया है;

(ख) प्रसंस्करण, श्रेणीकरण और पैकिंग के लिए प्राधिकृत परिसर पूर्ण स्वास्थ्यकर और स्वच्छ दशाओं में न रखे गए हों;

(ग) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक स्वस्थ नहीं है और किसी सांसर्गिक रोग से मुक्त नहीं हैं ।

अनुसूची-1 (क)

[नियम 5(1) देखिए]

श्रेणी अभिधान चिन्ह

(एगमार्क लेबल का डिजाइन)

अनुसूची-1 (ख)

[नियम 5(2) देखिए]

श्रेणी अभिधान चिन्ह

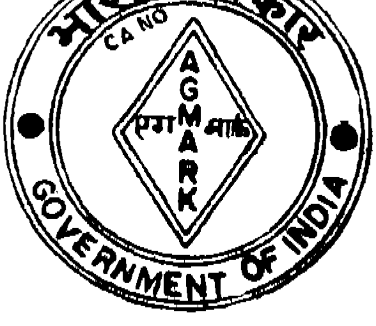

(एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन)

वस्तु का नाम ——————

श्रेणी ——————

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखिए)

बड़ी इलायची साबुत कैप्स्यूल का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा विशेष अपेक्षाएं							
	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	अपरिपक्व और कुम्हलाया हुआ कैप्स्यूल मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	आर्द्रता मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त कैप्स्यूल मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	खाली और विकृत कैप्स्यूल संख्या प्रतिशत (अधिकतम)	वाष्पशील तेल मिली ली० प्रति 100 ग्राम (न्यूनतम)	प्रति लीटर द्रव्यमान ग्रामों में (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी—1	0.5	0.5	6.0	10.0	3.0	5.0	2.0	350
श्रेणी—2	1.0	1.0	8.0	12.0	5.0	8.0	1.0	300

साधारण अपेक्षाएं

बड़ी इलायची कैप्स्यूल :—

1. बारहमासी शाकीय वृक्ष से, जो वनस्पति शास्त्र में "अमोमम सुबुलाटम रोक्सबर्ग" के नाम से जाना जाता है और जिंजीबेरेसिए फैमिली से संबंधित है, प्राप्त, शुष्क लगभग परिपक्व फल (कैप्स्यूल) होगा।
2. अंडाकार होगा और देखने में लगभग शिराओदार त्रिकोण आकृति का होगा।
3. उस का रंग भूरे से गुलाबी होगा।
4. मोहक मसालों वाले सुवास के साथ विशिष्ट स्वाद और गंध वाला होगा।
5. अदूषित और विपण्य दशा में होगा और पूर्ण रूप से मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होगा।
6. दुर्गन्ध, विकृतगंधी स्वाद, झिल्ली, फफूंदी, कीटग्रसन, खुली आंखों से दृश्य कृतंक संदूषण और मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा।
7. अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप में अफलाटाक्सिन अन्तर्वस्तु, धात्विक संदूषणों और कीटनाशी अपशिष्टियों से संबंधित निर्बन्धनों का अनुपालन करेगा।
8. "ECOMARK" ("इकोमार्क") लागू होने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण :—

(1) खाली और विकृत कैप्स्यूलों से ऐसे कैप्स्यूल अभिप्रेत हैं जो बीजरहित हों या उनमें बीजों की अल्प मात्रा हो। इस प्रयोजन के लिए नमूने में से अक्रमवार चयन किए गए सौ कैप्स्यूलों को खोला जाएगा और खाली तथा विकृत कैप्स्यूलों को गिना जाएगा।

(2) अपरिपक्व और कुम्हलाए हुए कैप्स्यूलों से ऐसे कैप्स्यूल अभिप्रेत हैं जो कुम्हला गए हैं और पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं।

(3) कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त कैप्स्यूल से ऐसे कैप्स्यूल अभिप्रेत हैं जो कीटों द्वारा पूर्णतः या अंशतः वेधित या क्षतिग्रस्त किए जा चुके हैं।

(4) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ से बालू, पत्थर, मिट्टी और अन्य अकार्बनिक बाह्य पदार्थ अभिप्रेत हैं।

(5) कार्बनिक बाह्य पदार्थ से कार्डामोम अमोमम कैप्स्यूल से भिन्न पौधों के वनस्पति पदार्थ बाह्यदलपुंज और डंठल के टुकड़ों के मिश्रण अभिप्रेत हैं।

(6) प्रति लीटर मात्रा से सिलिन्डर से मापे हुए एक लीटर में बड़ी इलायची कैप्स्यूल की मात्रा अभिप्रेत है।

अनुसूची-3

(नियम 3 और 4 देखिए)

बड़ी इलायची बीज की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा
विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ मात्रा प्रतिशत (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त बीज मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	आर्द्रता मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	हल्के बीज भूरे या लाल बीज मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर कुल भस्म मात्रा प्रतिशत (अधिकतम)	वाष्पशील तेल मिलीलिटर प्रति 100 ग्राम (न्यूनतम)	प्रति लीटर द्रव्यमान ग्रामों में (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी—I	0.3	0.5	2.0	10.0	5.0	8.0	2.0	400
श्रेणी—II	1.0	1.0	3.0	12.0	8.0	8.0	1.0	350

साधारण अपेक्षाएं

बड़ी इलायची बीज :

1. कार्डमोम अमोमम (अमोमम सुबुलाटम रोक्सब) के कैप्स्यूलों का छिलका (आवरण) हटाने से प्राप्त होंगे और पैकिंग के लिए अलग किए जाएंगे;
2. ताजे साफ, अदूषित विपण्य दशा में होंगे और पूर्ण रूप से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होंगे।
3. ऐसे ताजे स्वाद और सुवास वाले होंगे जो जिन्स के गुणों से सामान्यतया मेल खाते हों।
4. दुर्गन्ध विकृतगन्धी स्वाद, झिल्ली, फफूंदी, कीटग्रसन, कलंक संदूषण और मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे,
5. अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विनिर्दिष्ट अफलाटाक्सीन अन्तर्वस्तु, धात्विक संदूषणों और कीटनाशी अवशिष्टियों से संबंधित निर्बन्धनों का अनुपालन करेंगे।
6. ECOMARK (इकोमार्क) के लागू होने के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

स्पष्टीकरण :

(1) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ से बालू, पत्थर, मिट्टी और अन्य अकार्बनिक बाह्य पदार्थ अभिप्रेत है।

(2) कार्बनिक बाह्य पदार्थ से कार्डमोम अमोमम बीजों के भिन्न पौधों के वनस्पति पदार्थ, बाह्य दल पुंज और डंठल के टुकड़ों का मिश्रण अभिप्रेत है।

(3) कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त बीजों से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो कीटों द्वारा पूर्णतः या अंशतः वेधित या क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं।

(4) हल्के बीजों से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो अपरिपक्व और कुम्हलाए हुए हैं।

(5) प्रति लीटर मात्रा से सिलिंडर में मापे गए एक लीटर में बड़ी इलायची के बीजों की मात्रा अभिप्रेत है।

अनुसूची-4

(नियम 3 और 4 देखिए)

बड़ी इलायची बीज चूर्ण की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषा

क्वालिटी की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	आर्द्रता मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क के भार आधार पर कुल भस्म मात्रा-प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर अम्ल में अघुलनीय भस्म मात्रा प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण मात्रा प्रतिशत (न्यूनतम)	वाष्पशील तेल मिलीलीटर प्रति 100 ग्राम (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी—I	10.0	5.0	1.0	12.0	4.0	1.5
श्रेणी—II	12.0	8.0	1.5	15.0	8.0	0.5

साधारण अपेक्षाएं

8

कार्डमोम अमोमम बीज चूर्ण :—

(1) "अमोमम सुबुलाटम रोक्सबुर्ग" के संपुटों से निकाले गए बीजों से प्राप्त सामग्री होगी।

(2) ताजे स्वाद और सुवास वाला सामान्यतया उत्पाद के गुणों से मेल रखने वाला होगा।

(3) विपण्य दशा में और पूर्ण रूप से मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होगा।

(4) दुर्गंध, विकृतिगन्धी स्वाद, झिल्ली, फफूंदी, कीटग्रस्त, कृंतक संदूषण और मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा।

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विनिर्दिष्ट अफलाटाक्सीन धात्विक संदूषणों से संबंधित निर्बन्धनों का अनुपालन करेगा।

[फा. सं. 18011/6/95—एम—II]

सुकुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 1st September, 1997

G.S.R. 358.—The following draft of the Large Cardamom Grading and Marking Rules, 1997, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules, may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Central Government Offices Complex, New Building, Neighbourhood IV, Faridabad-121001 (Haryana).

DRAFT RULES

1. Short title and application :—(1) These rules may be called the Large Cardamom Grading and Marking Rules, 1997.

(2) They shall apply to the Large Cardamom (Amomum Subulatum Rozburgh);

(3) They shall come into force from the date of their notification in the official Gazette.

2. Definition .—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted certificate of authorisation to grade and mark the large cardamom whole, seed and|or seed powder in accordance with the provisions of these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under rule 3 of the General Grading and Marking rules, 1988;

(d) "Grade designation mark" means the Agmark label or the Agmark replica referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 5, as the case may be, of these rules;

(e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

3. Grade designations :—The grade designations shall be the name of the grades to indicate the quality of large cardamom whole, seed and|or large cardamom powder as set out in column 1 of schedules II to IV.

4. Definition of quality:—The quality indicated by such grade designation shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 10 of Schedule II and III and columns 2 to 8 of Schedule-IV.

5. Grade designation mark.—(1) The grade designation mark shall consist of the Agmark label as specified in Schedule-I(A) and shall specify the name of the commodity, grade designation and a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun and resembling the one as set out in Schedule-I(A); or

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf may, subject to the conditions specified in sub-rule (4) of the General Grading and Marking Rules, 1988, permit an authornesd packer to use Agmark replica as specified in Schedule-I(B) consisting of a design incorporation the number of certificate of Authorisation, the word "AGMARK", the name of the commodity and grade designation, instead of Agmark label.

6. Method of packing :—(1) Whole large cardamom capsules shall be packed in new, clean, sound and dry wooden cases suitably lined with water proof paper|craft paper|polyethylene liner, or bags made of jute, cloth laminated with polyethylene or polypropylene or high density polythylene bags|pouches.

(2) Cardamom seeds shall be packed in new, clean, sound and dry cotton bags, wooden cases, lined wtih polyethylene|water proof paper or containers made of glass, tin plaes, alluminium, or in pouches made of laminated|metallised|multilayered food grade quality plastic materials;

(3) Large cardamom powder shall be packed in new, clean, sound and dry containers, made of tin, glass or in pouches made of laminated|extrusioned|metalised|multilayer food grade plastic materials;

(4) The containers shall be clean, sound and new and shall not be composed wholly or partly of any poisonous or deleterious substances which leads the contents injurious to health.

(5) Containers and packing material shall be be free from insect infestation, fungus contamination, undersirable or obnoxious smell and substance which may damage the contents;

(6) The net weight of the large cardamom capsules, seeds and powder packed in a container shall be 25gms. 50gms. 100gms. 500gms. 1kg and thereafter in multiples of 500gms as per the Standards of weights and measures (Packaged commodities) Rules, 1977 as amended from time to time;

(7) Each container shall be securely closed and suitably sealed;

(8) Suitable number of consumer packs containing graded material of the same grade designation and from the same lot|batch may be packed in master container such as wooden cases, bags and cardboard cartons.

7. Method of Marking:—(1) A grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each container of large cardamom whole|seed or powder in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988;

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on the label and or on the package;

(a) Name and address of the packer,

(b) Place of packing.

(c) Date of packing, in month and year,

(d) Lot|batch number,

(e) Net weight,

(f) Grade,

(g) Maximum retail price (inclusive all taxes only for domestic market);

(3) The ink used for marking shall be of such quality which does not contaminate the product;

(4) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf, in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, mark his private trade mark on the package;

Provided that the same does not indicate quality or grade other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded package in accordance with these rules.

8. Special conditions for grant of Certificate of Authorisation :—

Notwithstanding anything contained in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the Certificate of Authorisation for grading and marking of large cardamom whole, seeds and/or large cardamom powder shall not be granted if :—

(a) the authorised packer have not either set up his own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of large cardamom capsules, seeds, and/or large cardamom powder in accordance with the specified quality standards or does not have an agreement with an approved laboratory for the purpose ;

(b) the authorised premises for processing, grading and packing are not maintained in perfect hygnic and sanitary conditions ;

(c) The personnel engaged in these operations are not in sound health and free from any contagious disease.

SCHEDULE—I (A)
[See rule 5(1)]
Grade designation mark
(Design of Agmark label)

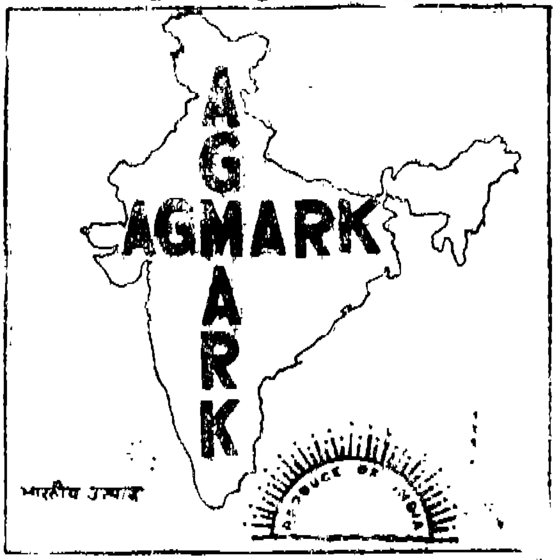

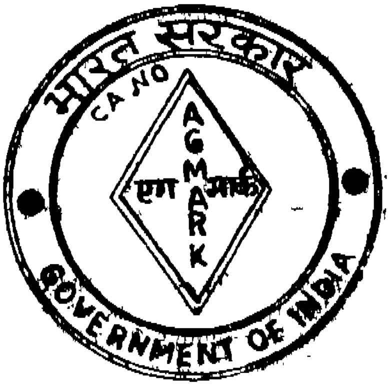

SCHEDULE—I (E)
[See rule 5(2)]
Grade designation mark
(Design of Agmark Replica)

SCHEDULE II

Grades designations and definition of quality of Large Cardamom whole capsules.

Grade desinations	Definition of quality — Special requirements: Inorganic extraneous matter, per cent by mass (maximum)	Organic extraneous matter, per cent by mass (maximum)	Immature and shirvelled capsules mass per cent (maximum)	Moisture per cent by mass (maximum)	Insect damaged capsules, per cent by mass maximum	Empty and malformed capsules, per cent by mass (maximum)	volatile oil/ml 100gm per cent mass (minimum)	Mass in per liter (minimum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grade-I	0.5	0.5	6.0	10.0	3.0	5.0	2.0	350
Grade-II	1.0	1.0	8.0	12.0	5.0	8.0	1.0	300

General requirements
10
Large Cardamom capsule shall,— (1) be the dried nearly riped fruits (capsule) obtained from the perennial herbaceous plant botanically known as "AMOMUM Subulatum Rozburgh" belongs to Zingiberaceae family. (2) be avoid and more or less triangular shaped having ribbed appearance; (3) be of colour ranging from brown to pink; (4) have characteristic taste and odour with pleasant spices flavour; (5) be in sound and in merchantable condition and fit for human consumption in all respects; (6) be free from off-flavour, rancid taste, mustiness, mould growth insect infestation, rodent contamination visible to naked eyes, and added colouring matter; (7) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminents and insecticide residue as specified under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955; (8) Comply with requirements specified under the Environment Protection Act, 1986 and rules made thereunder for application of "ECOMARK".

Explanation :—

(1) Empty and malformed capsules—mean capsules which are without any seeds or which are scantily filled with seed. For this purpose 100 capsules selected at random from the sample shall be opened out and the number of empty and malformed capsules counted.

(2) Immature and shrivelled capsules—mean capsules which are shrivelled and not fully develloped;

(3) Inserct damaged capsules—mean capsules which are wholly or partially bored or damaged by insect.

(4) Inorganic extraneous matter—means sand, stones, earth and other inorganic extraneous matter.

(5) Organic extraneous matter means vegetable matter of plants other than cardamom amomum capsules, the proportion of calyx pieces of and stalk.

(6) Mass per liter —means the mass of large cardamom capsules contained in one litre measuring cylinder.

SCHEDULE-III

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of large cardamom seeds.

	Definition of quality							
	Special requirements							
Grade designations	Inorganic extraneous matter percent by mass (Maximum)	Organic extraneous matter percent by mass (Maximum)	Insect damaged seeds, percent by mass (maximum)	Moisture percent by mass (maximum)	Light seeds/ brown or/ red seeds per cent by mass (maximum)	Total ash per cent by mass on dry weight basis (maximum)	Volatile oil ml/ 100 gm (minimum)	Mass in grams per litre (Minimum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grade-I	0.3	0.5	2.0	10.0	5.0	8.0	2.0	400
Grade-II	1.0	1.0	3.0	12.0	8.0	8.0	1.0	350

General requirements
10

Large cardamom seeds shall :—

(1) be obtained by decorticating the capsules of cardamom amomum (Amomum Subulatum roxcb) and separated out seeds for packing;

(2) be fresh, clean, sound in merchantable condition and fit for human consumption in all respects;

(3) have fresh taste and aroma normally associated with the characteristics of the commodity;

(4) be free from off-flavour, rancid taste mustiness, mould growth insect infestation, rodent contamination and added colouring matter;

(5) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content metallic contaminants and insecticide residue as specified under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955;

(6) comply with requirements specified under the Environment Protection Act, 1986 and the rules made thereunder for application of "ECOMARK".

Explanation :—

(1) Inorganic extraneous matter—means sand, stones, earth and other inorganic extraneous matter.

(2) Organic extraneous matter—means vegetable matter of plants other than cardamom amomum seeds, the proportion of pieces of calyx and stalk.

(3) Insect damage—means seeds that are partially or wholly bored/or damaged insects.

(4) Lights seeds—means seeds that are immature and shrivelled.

(5) Mass per litre—means the mass of large cardamom seeds contained in one litre measuring cylinder.

SCHEDULE—IV

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of large cardamon seed powder

Grade designations	Definition of quality					
	Special requirements					
	Moisture percent by mass (Maximum)	Total ash percent by mass on dry weight basis (Maximum)	Acid insoluble Ash, percent by mass on dry weight basis (Maximum)	Crude Fibre per cent by mass on dry weight basis (Maximum)	Non volatile ether extract per cent by mass on dry weight basis (Minimum)	Volatile oil ml/100 gm. (Miximum)
1	2	3	4	5	6	7
Grade-I	10.0	5.0	1.0	12.0	4.0	1.5
Grade-II	12.0	8.0	1.5	15.0	8.0	0.5

General requirements
8
Cardamom amomum seed powder shall,— (1) be the material obtained from the seeds separated from the capsules of "Amomum subulatum, Rozburgh"; (2) have fresh taste and aroma normally associated with the characteristics of product; (3) have in merchantable condition and fit for human consumption in all respects; (4) be free from off-flavour, rancid taste, mustiness, mould growth, insect infestation, rodent contamination and added colouring matter; (5) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants as specified under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

[F. No. 18011/6/95-M-II]
SUKUMAR DAS, Jt. Secy.

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1997

सा.का.नि 359.—धनिया श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1996 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 385 तारीख 23 अगस्त, 1996 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) के पृष्ठ 1820-1826 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 24 अक्तूबर, 1996 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धनिया श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 को अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धनिया श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1997 है;

(2) यह धनिया (कोरिएंड्रम सटाइवम एल) साबूत तथा पाउडर को लागू होंगे;

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उस वस्तु का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिये प्राधिकार प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

3. श्रेणी अभिधान—साबुत और पिसे हुए धनिया की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिये श्रेणी अभिधान अनुसूची II और अनुसूची III के स्तम्भ 1 में उपवर्णित प्रकार के होंगे।

4. क्वालिटी की परिभाषा :—श्रेणी अभिधान और साधारण लक्षणों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी अनुसूची II और अनुसूची III के स्तम्भ 2 से 9 में प्रत्येक श्रेणी अभिधानों के सामने यथा उपवर्णित प्रकार की होगी।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह :—श्रेणी अभिधान चिन्ह में निम्नलिखित होगा,

(i) एक लेबल जिस पर वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर अनुसूची 1-क में दिये गये डिजाइन के सदृश एक डिजाइन होगा जिसमें "एगमार्क" शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र के साथ उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा ;

(ii) "एगमार्क प्रतिकृति" में एक डिजाइन होगा, जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र का संख्यांक सम्मिलित करते हुए, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान होगा और उसके सदृश होगा जैसा अनुसूची 1–ख में दिया गया है ;

परन्तु एगमार्क लेबल के स्थान पर एगमार्क प्रतिकृति का उपयोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों के लिये अनुज्ञात होगा, जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा और साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा अनुदत्त की गई है ।

6. चिन्हांकन की पद्धति : (1) श्रेणी अभिधान चिन्ह मजबूती से प्रत्येक आधान पर चिपकाया जायेगा या स्पष्ट रूप से और अमिट रूप में मुद्रित किया जायेगा ;

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, प्रत्येक लेबल और/या आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट एवं अमिट रूप से चिन्हांकित की जायेंगी ;

(क) पैकर का नाम और पता;

(ख) पैक करने की तारीख, मास और वर्ष में;

(ग) पैक करने का स्थान;

(घ) शुद्ध वजन;

(ङ) लाट/बैच संख्यांक;

(च) कीमत;

(छ) अवसान तिथि;

(3) कोई प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या /इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड श्रेणीकृत पैकेजों या आधानों पर चिन्हित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि श्रेणीकृत पैकेजों पर चिपकाये गये श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

7. पैकिंग की रीति :—

(1) श्रेणीकृत सामग्री को जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, पालीवोवन थैलों, कागज की थैलियों, पोलिथिलीन, पाली-प्रोपलीन, धातुकृत पोलिएस्टर/पालिथिलीन पटलित पाउचों, गत्ते के कार्टन, टिन, ग्लास या प्लास्टिक आधानों, लकड़ी के मंजूषाओं में या क्रेता द्वारा वांछित और/अथवा कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी अन्य पैकिंग खाद्य श्रेणी सामग्री से बने साफ ठोस और शुष्क आधानों में पैक किया जायेगा ;

(2) जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, कागज के थैलों, गत्ते के कार्टन में पिसे हुए धनिया के पैकिंग में पालीप्रोपलीन, पॉलिथिलीन के उपयुक्त अस्तर का उपयोग किया जायेगा;

(3) आधान, कीट ग्रसन, कवक संदूषण, हानिकर पदार्थ या किसी अवांछनीय या घृणाजनक गंध से मुक्त होगा;

(4) प्रत्येक पैकेज में केवल एक श्रेणी अभिधान की श्रेणीकृत सामग्री होगी । उसी लॉट/बैच में अंतर्विष्ट श्रेणीकृत सामग्री के छोटे पैकों को बृहत आधानों पर ब्यौरे के साथ लेबल और श्रेणी अभिधान लगाते हुए जूट के थैलों, लकड़ी की मंजूषाओं, गत्ते और कार्टन आदि के मुख्य आधान में पैक किया जा सकेगा;

(5) प्रत्येक आधान को कसकर बंद और सील किया जायेगा।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिये विशेष शर्तें

साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट साधारण शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन साबुत और पिसे हुए धनिया के लिये श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिये प्राधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत पैकर, साधारण श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार साबुत और पिसे हुए धनिया की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी

अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा संचालित अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा या इस प्रयोजन के लिये राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा।

(2) परिसरों को प्रसंस्करण, श्रेणीकरण तथा पैकिंग के लिये पूर्णतया स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ दशाओं में रखा जायेगा।

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा, वे और किसी भी संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

अनुसूची 1–क
[नियम 5(i) देखिए]
एगमार्क लेबल का डिजाइन

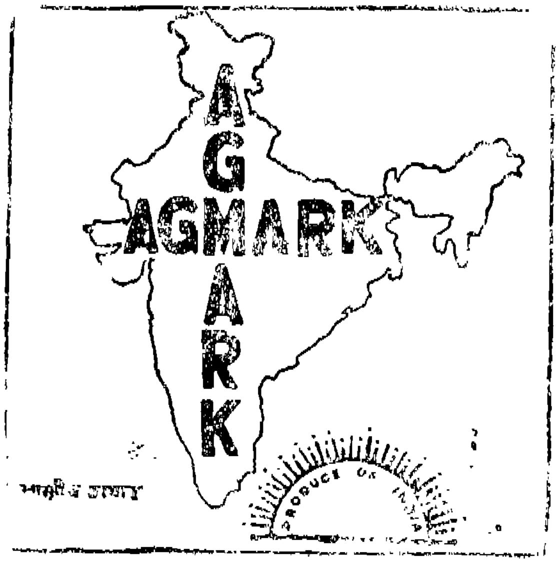

अनुसूची 1–ख
[नियम 5(ii) देखिए]
एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन

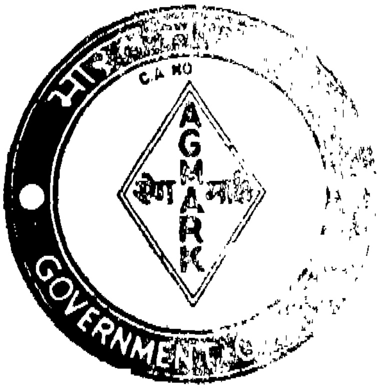

वस्तु का नाम ....

श्रेणी ....

अनुसूची–II

(नियम 3 और 4 देखिए)

धनिया साबुत (धनिया) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषाएं

क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष अपेक्षाएं						
	अंतर्विष्ट नमी की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	अकार्बनिक, बाके पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	कीट खाए फल की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	शीवल अपरिपक्व और काले फल की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	विभक्त फल की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	वाष्पशील तेल (वी./एम.) प्रतिशत में (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी–I	11.0	0.5	0.5	1.0	2.0	10.0	0.25
श्रेणी–II	11.0	2.0	1.0	2.0	4.0	15.0	0.20
श्रेणी–III	11.0	3.0	1.5	3.0	6.0	30.0	0.20
अविनिर्दिष्ट श्रेणी	11.0	—	—	—	—	—	—

साधारण अपेक्षाएं
9

साबुत धनिया :—

(क) "कोरिएंड्रम सटाइवम एल" का सूखा हुआ परिपक्व फल होगा

(ख) दिखने योग्य, फफूंदी, दुर्गन्ध, विकृत गंधिता, सुवास रहित, कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;

(ग) मिलाय गय रंगीन पदार्थ या किसी हानिकर विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;

(घ) स्तंभ (4) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विस्तार के सिवाय, कीट ग्रसन से मुक्त होगा;

(ङ) साधारणतया आकार, रंग, स्वाद और किस्म की एरोमा विशिष्टियों के अनुरूप होगा;

(च) अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथा विहित अफलाटाक्सिन, अंतर्वस्तु धात्विक संदूषण और कीटनाशी/नाशक जीव भार अवशिष्टों की बाबत निर्बन्धनों का अनुपालन होगा;

(छ) कृत्रिम रंग पदार्थों से मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण :—

1. कार्बनिक बाह्य पदार्थ : पत्तियां, तना, भूसा, आमिकावत, अन्य बीज या किसी अन्य कार्बनिक एवं विजातीय बाह्य पदार्थ सम्मिलित है।

2. अकार्बनिक बाके पदार्थ : धूल, मैल, पत्थर, मिट्टी के कण या किसी अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ से मक्त होगा।

3. कीट खाए फल : वे फल हैं जो भागतः या पूर्णतः घन या कीट द्वारा छेदे गए या खाए गए हैं।

4. सिवल या अपरिपक्व फल : वे फल हैं जो अच्छी तरह से विकसित न हों।

5. काले फल : वे काले फल जो क्वालिटी पर प्रभाव डालते हैं।

6. विभक्त फल : वे फल जो अनुदैर्ध्य रूप से विभक्त हैं।

7. गैर निर्दिष्ट श्रेणी : नियमित श्रेणी नहीं है। क्रेता को ऐसी निर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरा करने के लिए उपबंधित हैं जो किसी नियमित श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह केवल क्रेता से निर्दिष्ट आदेश के अनुसार मात्रा और अपेक्षित क्वालिटी उपदर्शित करते हुए श्रेणी निर्यात के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

अनुसूची--III

(नियम 3 और 4 देखिए)

धनिया पाउडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	नमी की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	कुल भस्म की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	पतले नमक के तेजाब में अघुलनशील भस्म की मात्रा (अधिकतम)	अपरिष्कृत रेशे की मात्रा प्रतिशत में (अधिकतम)	अवाष्पशील ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा प्रतिशत में (न्यूनतम)	वाष्पशील तेल की प्रतिशत (आयतन/मात्रा) (न्यूनतम)	छलनी का परिमाषा माइक्रान में (अधिकतम)
	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष विशिष्टताएं						
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी–I	10.0	6.5	1.0	25.0	18.0	0.3	600
श्रेणी–II	11.0	7.0	1.5	30.0	15.0	0.2	700

साधारण अपेक्षाएं

धनिया पाउडर :—

(क) कोरिएंड्रम सटाइवम एल. के साफ, ठोस, सूखे हुए और परिपक्व फलों को पीस कर प्राप्त हुई सामग्री होगी;

(ख) मिलाये गये रंगीन पदार्थ या किसी विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;

(ग) फफूंदी लगने, कीट ग्रसन या दुर्गन्ध से मुक्त होगा;

(घ) विकृतगंधिता, सवास रहित, कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;

(ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथा विहित एफलाटाक्सिन, अंतर्वस्तु, धात्विक संदूषण और नाशक जीवभार, /कीटनाशी अवशिष्टों की बाबत अनुदेशों का पालन करेगा।

[फा.सं. 18011/7/95-एम-2]
बी.एन. मिश्र, आर्थिक सलाहकार

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 25th September, 1997

G.S.R. 359.—Whereas the draft of the coriander Grading and Marking Rules, 1996 were published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), under the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Areas and Employment number G.S.R. 385 dated the 23rd August, 1996 at pages 1820 to 1828 in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th October, 1996;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have duly been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and in supersession of the Coriander Grading and Marking Rules, 1964, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Coriander Grading and Marking Rules, 1997.

(2) They shall apply to Coriander (Coriander Sativum L.) whole and powder.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised Packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark the commodity in accordance with the provisions of these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a Certificate issued under the General Grading and Marking Rules, 1988;

(d) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

3. Grade designation.—The grade designations to indicate the quality of Coriander whole and powdered shall be as set out in column 1 of Schedule II and III.

4. Definition of quality.—The quality indicated by such grade designation and general characteristics shall be as set out against each grade designation in column 2 to 9 of Schedule II and Schedule III.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of:—

(i) a label specifying name of the commodity grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the words "Agmark and figure of the rising sun resembling the one as set out in Schedule-I-A, or

(ii) 'Agmark Replica' consisting of a design incorporating the number of Certificate of authorisation, the word 'Agmark' name of commodity and grade designation resembling the one as set out in Schedule-I-B, 1.

Provided that the use of Agmark Replica in lieu of Agmark shall be allowed only to such authorised packers who have been granted permission by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard and subject to the conditions specified in rule 10 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

6. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container;

(2) In addition to the grade designation mark, shall the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label and/or container:—

(a) Name and address of packer;
(b) Date of packing in month and year;
(c) Place of packing;
(d) Net weight;

(e) Lot|batch number;

(f) Price;

(g) Date of expiry;

(3) An authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages or containers, provided that the same does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages.

7. Method of packing.—(1) The graded material shall be packed in clean, sound and dry containers such as jute bags, cloth bags, polywoven bags, paper bags, polyethylene, polypropylene, metallised polyster|polyethylene laminated pouches, cardboard cartons, tin, glass or plastic containers, wooden cases, or any other packaging material as may be required by the buyer and|or approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf provided the same are made of food grade materials.

(2) Suitable lining of polypropylene, polyethylene shall be used in packing of powdered Coriander in jute bags, cloth bags, paper bags, and cardboard cartons.

(3) The containers shall be free from insect infestation, fungus contamination, deletarious substances and any undesirable of obnoxious smell.

(4) Each package shall contain graded material of one grade designation only. Small packs containing graded material of the same lot|batch and grade designation may be packed in a master container such as jute bags, wooden cases, cardboard cartons using tie-or label with details on master containers.

(4) Each container shall be securely closed and sealed.

8. Special conditions for grant of certificate of authorisation.—In addition to the general conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the additional conditions for grant of certificate of authorisation for grading and Marking of Coriander whole and powdered under these rules namely :—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing quality of coriander whole and powdered or have access to the State Grading Laboratory or private commercial lab., approved for the purpose ;

(2) The premises for processing grading and packing shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions ;

(3) The personnel engaged in these operation shall be in sound health and free from any contagious disease.

SCHEDULE-I-A

[See Rule 5 (i)]

(Design of Agmark label)

SCHEDUL-I-B

[See Rule 5 (ii)]

(Design of Agmark Label)

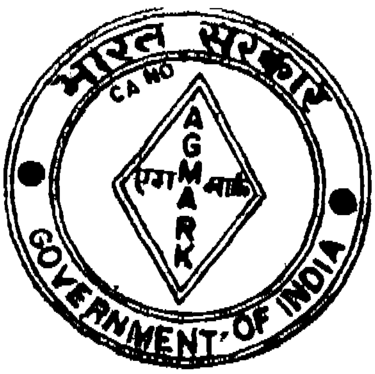

NAME OF COMMODITY————

GRADE————————

SCHEDULE—II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of coriander whole (Dhania)

Grade designations	Definition of quality — Special requirements						
	Moisture content percent by mass (maximum)	Organic extraneous matter per-cent by mass (maximum)	Inorganic extraneous matter per-cent by mass (maximum)	Insect bored fruits percent by mass (maximum)	Shrivelled immature and black-ened fruits %by mass (maximum)	Split fruits per cent by mass (maximum)	Volatile oil % (v/m) (minimum)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grade-I	11.0	0.5	0.5	1.0	2.0	10.0	0.25
Grade-II	11.0	2.0	1.0	2.0	4.0	15.0	0.20
Grade-III	11.0	3.0	1.5	3.0	6.0	30.0	0.20
*Non specified grade	11.0	—	—	—	—	—	—

General requirements

9

The coriander whole shall be.—

(a) the dried mature fruits of Coriandrum Sativum L;

(b) free from visible moulds or musty odour, rencidity, off flavour, rodent contamination;

(c) free from added colouring matter or any harmful foreign matter;

(d) free from insect infestation except to the extent as specified under column 4;

(e) in conformity to the shape, colour, taste and aroma characteristics of the variety;

(f) complying with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and insecticides/pesticides as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

(g) free from artificial colouring matter

EXPLANATIONS :

(1) Organic Extraneous matter : Includes leaves, stems, straw, chaff stalks, other seeds, or any other organic foreign matter.

(2) Inorganic Extraneous matter : Includes dust, dirt, stones, earth, or any other inorganic foreign matter;

(3) Insect board fruits : are those fruits which are partially or wholly board or eaten by weevils or other insects;

(4) Shrivelled or immature fruits : are those fruits which are not properly developed.

(5) Blackened fruits : are those fruits which are blackened materially affecting the quality.

(6) Split fruits : are those fruits which have split longitudinally.

* Non Specified grade : is not a regular grade. It is provided to meet such specific requirements of the buyer which are not covered under any of the regular grades. It shall be allowed only for export grading against a specific order from the buyer indicating the quantity and quality required.

SCHEDULE III

(see rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of coriander powder

Grade designation	Definition of quality — Special characteristics						
	Moisture per cent by mass (maximum)	Total ash per cent by mass (maximum)	Ash insoluble in oil HCL per cent by mass (maximum)	Crude fibre per cent by mass (maximum)	Non-volatile either extract per cent by mass (minimum)	Volatile oil (v/m) (minimum)	Sieve size in microns (maximum)
1	2	3	4	5	6	7	8
Grade-I	10.0	6.5	1.0	25.0	18.0	0.3	600
Grade-II	11.0	7.0	1.5	30.0	15.0	0.2	700

General characteristics
9

The Coriander powder shall be.—

(a) the material obtained by grinding clean, sound, dried and mature fruits of Coriandrum Sativum L

(b) free from added colouring matter or any foreign matter;

(c) free from mould growth, insect infestation of musty odour;

(d) free from rancidity, off-flavour, rodent contamination;

(e) complying with the instructions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and pesticides residues, as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955;

[File No. 18011/7/95-M-II]
V. N. MISRA, Economic Adviser

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1997

सा.का.नि 360—दिनांक 8 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित 11 फरवरी, 1997 के सा.का.नि.-142 के तहत भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में (i) पृष्ठ 3, कालम 2, पंक्ति 29 में "1996" के स्थान पर "1997" पढ़ें।

[संख्या 18011/1/95-एम-II]
वी० एन० मिश्र, आर्थिक सलाहकार (कृषि विपणन)

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT

(Department of Rural Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st October, 1997

G.S.R. 360.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Rural Areas and Employment, vide G.S.R. 142, dated the 11th February, 1997, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 8th March, 1997—(i) at page 3, column 2, in line 29, for "1996" read "1997".

[No. 18011/1/95-JI]

V. N. MISRA, Economic Adviser,
(Agricultural Marketing).

विद्युत मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1997

सा.का.नि. 361.—लक्षद्वीप के प्रशासन में कार्यपालक अभियन्ता (वैद्युत) 'ग्रुप-ए' गजट के पद के भर्ती नियमों से संबंधित सा.का.नि. 71 के बारे में दिनांक 23-12-96 को विद्युत मंत्रालय अधिसूचना संख्या 39/5/92–डी (एस ई बी) का संदर्भ ग्रहण करें। अधिसूचना से संलग्न अनुबन्ध के कालम–4 में उल्लिखित पद का वेतनमान तथा कालम 13(मद 2) में डी.पी.सी. के गठन को निम्नवत रूप से पढ़ा जाए:

पद का वेतनमान

1. 3000–100–3500–125–4500

डीपीसी का गठन

2. मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण—सदस्य

[सं० 39/5/92-डी(एसईबी)]

एम. आर. राजोरिया, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th September, 1997

G.S.R. 361.—Reference Ministry of Power Notification No. 39|5|92-D(SEB) dated 23-12-1996 the G.S.R. 71 regarding Recruitment Rules to the post of Executive Engineer (Electrical) Group 'A' Gazette in the Administration of Lakshadweep. The scale of pay of the post mentioned in Col. 4 and the composition of DPC in Col. 13 (item-2) of the Annexure attached to the Notification may be read as under :—

Scale of pay of the post.

1. Rs. 3000-100-3500-125-4500.

Composition of DPC.

2. Chief Engineer, Central Electricity Authority—Member.

[No. 39|5|92-D(SEB)]

M. R. RAJORIA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1997